प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं.

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरों जयपुर, वर्ष-2022 प्र0इ0रि0 सं. 408/22 दिनांक 14/10/2022

2. (I) अधिनियम ..धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 व 120बी भा.द.सं.....

(II) अधिनियम .....धारायें.....

(III) अधिनियम .....धारायें.....

(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें..... (अ)

3. रोजनामचा आम रपट संख्या.....237.....समय.....7:50 P.M.....

(ब) अपराध घटने का दिन-...शुक्रवार....दिनांक...15-7-2022, 20-7-2022 व 21-7-2022 समय.....

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक...14-07-2022...समय.....

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक - लिखित

5. घटनास्थल :- .....पुलिस थाना बस्सी जिला जयपुर.....

(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-.....बजानिब पूर्व दिशा करीब 28 किमी.....

(ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना .....जिला .....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-

(अ) नाम:-श्री नरशीराम मीणा

(ब) पिता/पति का नाम :- श्री राधेश्याम मीना

(स) उम:- 26 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता:- भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....

जारी होने की जगह.....

(र) व्यवसाय:-मजदूरी

(ल) पता:-ग्राम गोला का बास, पुलिस थाना टहला, जिला अलवर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

1. श्री राकेश मीना पुत्र श्री ओमप्रकाश मीणा उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम नारौली, पो0 अलीपुर, तहसील वैर जिला भरतपुर हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना बस्सी, जिला जयपुर (पूर्व) आयुक्तालय जयपुर। मो0 9414571415
2. श्री रवि कुमार प्रजापत मो0नं0 9461784035 वकील का मुंशी कोर्ट बस्सी, जिला जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य.....रूपये लिप्त सम्पति.....

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 14.07.2022 को परिवादी श्री नरशीराम मीणा ने इस आशय का शिकायती प्रार्थना-पत्र पेश किया कि "मै नरसीराम मीणा निवासी गोलाकाबास थाना टहला जिला अलवर का रहने वाला हुं तथा प्राईवेट फाईनेंस कम्पनी मे रिकवरी का काम करता हुं, थाना बस्सी

जयपुर मे दो परिवादी द्वारा हमारे खिलाफ दो मुकदमे दर्ज करवाये गई है जो कि मुकदमा नं0 83/22 व 84/22 मेरे खिलाफ बस्सी थाने मे दर्ज जिसमे बैंक मैनेजर व अन्य बैंक कर्मचारी का भी नाम था जिसमे उन बैंक मैनेजर/कर्मचारी का नाम थाने वालो द्वारा निकाल दिया तथा मुझे दोनो मुकदमो मे गिरफ्तार अनुसंधान अधिकारी द्वारा कर दिया। अब थाना बस्सी के राकेश मीणा उ0नि0 व हरिमोहन मीणा सिपाही मेरे इन मुकदमों मे मेरे भाईयों दिनेश कुमार मीणा को व शंकर लाल मीणा को फंसाने की धमकी देकर मेरे से 1 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे है कि अगर एक लाख रूपये नही दिये तो तेरे भाईयों को इन मुकदमों मे फंसा देगे, अब मै उक्त थाने के स्टाफ व अधिकारी को रिश्वत की राशि के तौर पर 1 लाख रूपये नही देना चाहता, मैं उनको रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं' परिवादी नरसी मीना ने दरियाफ्त पर यह भी बताया कि मेरे खिलाफ पुलिस थाना बस्सी मे जो मुकदमे दर्ज है इसलिए मैने मेरे परिचित वकील के मुंशी श्री रवी कुमार से सम्पर्क किया था तो रवि कुमार ने आरोपी राकेश मीना थानेदार से सम्पर्क कर मुझे बताया था कि तीन लाख रूपये थानेदारजी मांग रहे है यदि तीन लाख रूपये दे दोगे तो तुम्हारे खिलाफ केस खत्म कर देंगे। मेरे पास तीन लाख का इंतजाम नही हुआ तो मुझे पुलिस वालो ने गिरफतार कर लिया था मै जब जेल मे था तो उक्त मुंशी रवि कुमार ने मेरे घरवालो को बताया था कि यदि थानेदारजी को रूपये नही दोगे तो वह मेरे भाई दिनेश व शंकर को भी गिरफतार करेगे तथा दो लाख रूपये रिश्वत के थानेदारजी को देने की बात बताई थी। उस डर के मारे मेरे पिताजी ने 50,000 रूपये थानेदार जी के कहने पर वकील के मुंशी श्री रविकुमार को दिये थे। जब मेरी जमानत हो गई तो मै हमारे वकील के मुंशी रवि कुमार से जाकर मिला तो उसने कहा कि राकेश थानेदारजी दो लाख रूपये मांग रहे है यदि नही दिया तो तेरे भाई दिनेश व शंकर को इन केसो मे गिरफ्तार करेगे। मैने रवि कुमार को कहा था कि मै घर वालो से बात करके पैसो का इंतजाम दो-पांच दिन मे करके बताता हूं, मै रवि कुमार की बात की सच्चाई जानने के लिए जब पुलिस थाना बस्सी के थानेदार राकेश मीना से मिला तो उन्होने रवि कुमार की बात की पुष्टि करते हुए दो लाख रूपये देने के लिए कहा एवं बताया कि मै तो तुम्हे भी छोड़ देता तुम बाद मे पैसो का इंतजाम करके मुझे दे देते लेकिन मुझे भी उपर के अधिकारियो को देना पड़ता है वह मान नही रहे थे इसलिए तुम्हे गिरफ्तार करना पड़ा था। मेरे द्वारा स्वयं को गरीब आदमी बताते हुए दो लाख रूपये का इंतजाम करने मे असमर्थता जताई तो उन्होने कहा कि एक लाख रूपये तो देने ही पड़ेगे नही तो तुम्हारी तरह तुम्हारे भाईयो को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैने थानेदारजी को कहा कि मै किसी से उधार पैसे लेने की बात करके आपको वापस बताता हूं। परिवादी ने रिश्वत राशि एक लाख रूपये की बात स्वयं आरोपी श्री राकेश मीना उप निरीक्षक से होना बताया। अतः रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई गई।

दिनांक 15-7-2022 को परिवादी ने आरोपी से मोबाईल फोन पर वार्ता की थी, आरोपी ने परिवादी को विधानसभा जयपुर आकर मिलने के लिये कहा जिस पर परिवादी विधानसभा जयपुर पहुंचकर आरोपी को फोन किया और उसने विधानसभा के पश्चिमी द्वार के 6 न0 गेट पर मिलने के लिये बुलाया जिस पर परिवादी विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर आरोपी के पास गया। कुछ समय पश्चात परिवादी आरोपी से रिश्वत मांग से संबंधित वार्ता करके आता है रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी राकेश कुमार उ0नि0 थाना बस्सी ने 70,000 रूपये रिश्वत की मांग की और परिवादी को सोमवार को आने के लिये कहा जिस पर परिवादी ने बुधवार को मिलने के लिये कहा।

परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन रिकार्ड वार्ता हुयी थी। जो विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड दिनांक 15.07.2022 को कार्यालय की आलमारी मे सुरक्षित रखा था। दिनांक 20-7-2022 को समय 12.30 पीएम पर उक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकार्ड वार्ता से संबंधित डिजीटल वाइस रिकार्डर मय एसडी कार्ड को ब्यूरों कार्यालय की आलमारी से बाहर निकलवाया गया। उक्त रिकार्डर मे लगे एसडी कार्ड मे दिनांक 15.07.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है। दिनांक 20-7-2022 को समय 1.17 पीएम पर रिश्वत लेन देन से पूर्व परिवादी एवं आरोपी राकेश मीना की मोबाईल फोन

पर वार्ता करवायी जिसमे परिवादी को रिश्वत देने हेतु आरोपी राकेश मीना ने यूनिर्वसीटी के पास जयपुर बुलाया था इस वार्ता को रिकार्ड की गई। दिनांक 20-7-2022 एवं दिनांक 15-7-2022 कीफर्द ट्रांसस्क्रिप्ट स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष नियमानुसार बनायी गई।

परिवादी श्री नरशीराम मीणा दिनांक 20.07.2022 को ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आने पर आरोपी को रिश्वती राशि देने हेतु पेश करने पर मुताबिक फर्द पेशकसी रिश्वती राशि पेश करने पर मुताबिक फर्द पेशकसी नोट व दृष्टान्त फिलोफ्थलीन पाउडर सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर कार्यवाही की गई परिवादी ने दिनांक 20.07.2022 समय 3.01 पीएम पर परिवादी के मोबाईल फोन से आरोपी के मोबाईल पर वार्ता करवायी गयी तो परिवादी ने आरोपी को बताया कि मै ट्रासंपोर्ट नगर आ गया हुं इस पर आरोपी ने कहा कि राजस्थान युनिर्वसटी के पास मे आकर मुझे फोन कर लेना।

समय 3.15 पीएम पर ब्यूरों कार्यालय से रवाना होकर मन् पुलिस निरीक्षक ब्यूरों स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के राजस्थान युनिर्वसटी के पास पहुंचकर अपनी अपनी पहचान छुपाते हुये गाडीयों को साईड मे खडा कर मुकिम हुये। परिवादी को अपनी मोटरसाईकिल से युनिर्वसटी गेट के साईड मे विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द कर खडा किया गया। परिवादी के पास मे श्री आलोक कुमार हैड कानि0, श्री सत्येन्द्र कुमार हैड कानि0, श्री ओमप्रकाश कानि0 एवं श्री देवेन्द्र सिह कानि0 अपनी पहचान छुपाते हुये मुकिम किया गया।

दिनांक 20.07.2022 समय 05.05 पीएम पर आरोपी के बताये हुये स्थान पर नही आने पर परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर समय 03.29, 03.32 एवं 03. 34 पीएम पर वार्ता करवायी गयी तो आरोपी ने परिवादी को कहा कि गांधीनगर सर्किल से आगे चलकर रोड पर खडा हो जा मै कुछ समय पश्चात आता हुं। इस पर परिवादी को आरोपी के बताये हुये स्थान के लिये रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक ब्यूरों स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान परिवादी के आस पास पहुंचकर अपनी अपनी पहचान छुपाते हुये मुकिम हुये। तत्पश्चात परिवादी मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया व विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया व मन् पुलिस निरीक्षक ने विभागीय रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रखा तथा परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैने मेरे मोबाईल न0 9784626235 से आरोपी के मोबाईल न0 9414571415 पर 03.45 एवं 03.52 पीएम पर थानेदार का मोबाईल मेरे मोबाईल पर आया व 04.01 पीएम पर मैने मोबाईल से वार्ता करी थी। जिस स्थान पर मै खडा था उस स्थान के रोड की दुसरी साईड सफेद कलर की मारूती कम्पनी की ब्रेजा कार आकर रूकी जिसमे बैठे हुये थानेदार जी ने मुझे फोन कर अपनी साईड मे आने के लिये कहा तब मैने कहा कि आप इस साईड मे चाय की दुकान पर आ जाओ चाय पीते है इस पर थानेदार जी ने कहा कि मै कार को घुमाकर लाता हुं, थानेदार जी अपनी कार लेकर वहां से रवाना हो जाते है। उसके बाद मैने आरोपी के मोबाईल पर दो तीन बार फोन किया लेकिन उसने फोन नही उठाया। कुछ समय पश्चात आरोपी ने अपना मोबाईल बन्द कर लिया। परिवादी को आरोपी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि देने हेतु रवाना किया था तब परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर दिया गया था जिसको सुना गया तो जिसमे परिवादी द्वारा आरोपी को टेलिफोन करने एवं आरोपी से वार्ता करने की पुष्टि होती है। आरोपी का कोई कॉल नही आने पर आईन्दा अग्रिम कार्यवाही का निर्णय लेते हुये घटना स्थल से ब्यूरों कार्यालय के लिये रवाना होकर ब्यूरों कार्यालय उपस्थित आया।

दिनांक 21.07.2022 समय 01.40 पीएम पर परिवादी से हुई वार्ता के अनुसार मन् पुलिस निरीक्षक व श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 68 सैंथल मोड दौसा पहुंचा जहां पर परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी के मोबाईल न0 9784626235 से थानेदार के दलाल श्री रवि कुमार प्रजापत के मोबाईल न0 9461784035 पर वार्ता करवायी तो उसने कहा कि परिवादी को कहां की आप बस्सी आ जाओ। उक्त वार्ता को विभागीय डिजीटल वाईस मे रिकार्ड की गयी। तत्पश्चात थानेदार का दलाल से परिवादी की बातचीत करवाने हेतु बस्सी के लिये रवाना हुये।

मन् पुलिस निरीक्षक व परिवादी एवं श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 68 दौसा के थोडा आगे बस्सी की तरफ पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री नरशीराम मीणा को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर थानेदार के दलाल से वार्ता करवाने हेतु हिदायत मुनासिफ कर स्वंय की मोटरसाईकिल से बस्सी के लिये रवाना किया गया था।

परिवादी थानेदार के दलाल रवि प्रजापत से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता करके वापस आया व परिवादी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मेरी थानेदार जी के दलाल से मेरी वार्ता हो गयी है और उसने यह कहा कि राकेश जी थानेदार जी से मेरी बात हो गयी है वह डायरेक्ट तेरे से पैसे नही लेगा क्योकि पहले भी मेरे मार्फत लिये है अब उन्होने 1 लाख रूपये के लिये मुझे कहा है तो मैने कहा कि मेरे पास 70,000/-रू की तो व्यवस्था है 30000 रूपये की व्यवस्था की कोशिश मै करता हुं और कल दिनांक 22.07.2022 को समय ग्यारह-बारह बजे के आस पास आता हुं इस पर परिवादी को साथ लेकर ब्यूरों कार्यालय आया।

दिनांक 21.07.2022 समय 4.30 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री राकेश मीणा उपनिरीक्षक के दलाल श्री रवि कुमार प्रजापत के मध्य हुई रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी द्वारा बतायी गयी बात की पुष्टि हुयी है। ब्यूरों कार्यालय मे पूर्व से पाबन्द शुदा गवाह उपस्थित है जिनके समक्ष दिनांक 20.07.2022 को आरोपी श्री राकेश मीणा उपनिरीक्षक के मोबाईल फोन पर हुयी वार्ता एवं दिनांक 21.07.2022 को आरोपी श्री राकेश मीणा के दलाल श्री रवि कुमार प्रजापत के मध्य बस्सी कोर्ट मे हुयी वार्ता को स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष सुना गया एवं उक्त रिकार्ड वार्ता से सम्बन्धित विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड लगे हुये को कार्यालय की आलमारी मे सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 22-7-2022 को समय 9.40 एएम पर उक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकार्ड वार्ता से संबंधित डिजीटल वाइस रिकार्डर मय एसडी कार्ड को ब्यूरों कार्यालय की आलमारी से बाहर निकलवाया गया। उक्त रिकार्डर मे लगे एसडी कार्ड मे दिनांक 20.07.2022 एवं 21.07.2022 की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष नियमानुसार बारी-बारी से सुन सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के पश्चात् पैनड्राईवनुमा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर माईक्रो एसडी कार्ड लगा हुआ को विभागीय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त रिकार्ड वार्ता की वाईस क्लिप को बारी-बारी से तीन अलग-अलग सीडी मे राईट/बर्न किया गया। वॉईस क्लिप सीडी में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर तीनो सीडीयों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलग-अलग सीडी मार्क B-1, B-2 मार्क B-3 (आईओ कॉपी) क्रमशः अंकित किये गये। उक्त सीडीयो में से दो सीडी मार्क B-1 एवं मार्क B-2 को अलग-अलग प्लास्टिक के कवर में रखकर अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व सीडी अनुसार कपडे के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। सीडी मार्क B-1, B-2 को सुरक्षित रखा गया। सीडी मार्क B-3 (आईओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली पत्रावली के संलग्न रखी गयी। उक्त रिकार्ड वार्ता मे आरोपी थानेदार के दलाल श्री रवि प्रजापत वकील के मुन्शी ने आरोपी थानेदार श्री राकेश मीणा के लिये एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की तथा परिवादी ने पूर्व में थानेदार से 70,000 रूपये रिश्वत की बात होने की बात कही तो उक्त आरोपी दलाल ने परिवादी को दस, बीस, तीस हजार की तरफ ध्यान नहीं देने की बात कही एवं टेलीफोन पर रिश्वत संबंधी बात नहीं करने के बारे में भी समझाईस की है। इस पर परिवादी ने स्वंय के पास 70,000 रूपये होने का इंतजाम होना कहा तथा तीस हजार रूपये का और इंतजाम करने की बात कही तो आरोपी ने 70,000 रूपये देने के लिये कहते हुये तीस हजार रूपये का और इंतजाम करने के लिये कहा।

दिनांक 22.07.2022 समय 8.15 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरों स्टाफ व गवाहान व परिवादी ब्यूरों कार्यालय से रवाना होकर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के बस्सी कस्बे ट्रेप जाल बिछाया गया। परिवादी ने जरिये टेलीफोन बताया था कि आरोपी थानेदार पहले थाने पर बाउंड्री के बाहर गेट पर उससे बात करी तथा अन्दर चला गया था

उसके बाद आरोपी थानेदार ने अन्दर बुलाकर मुझे कहा कि तु हाईवे के पास अपनी मोटरसाईकिल लेकर खडा हो जा मै वहीं आ रहा हूं। परिवादी की उक्त सूचना पर आरोपी के आने के संभावित स्थान के पास परिवादी को मोटरसाईकिल पंचर ठीक करने वाली दुकान पर मुकीम किया था कुछ समय बाद आरोपी अपनी कार से परिवादी को देखता हुआ निकल गया तथा फोन करके परिवादी को अपनी कार के पास बुलाया था। इस पर ट्रेप पार्टी सदस्यों को जयपुर-आगरा हाईवे बस्सी के आस-पास हिदायत मुनासिफ कर मुकिम किया तथा परिवादी को आरोपी की कार के पास रवाना किया। परिवादी के आरोपी की कार की तरफ पहुंचने से पहले ही आरोपी ने अपनी कार को धीरे-धीरे आगे बढाना प्रारंभ करते हुए कार को जयपुर की ओर ले गया। इस पर परिवादी से आरोपी थानेदार के फोन पर फोन करवाया तो आरोपी थानेदार ने कहा कि मै अभी जल्दी में हूं बाद में देख लूंगा। परिवादी ने बताया कि आरोपी थानेदार ने उसको यह भी कहा कि रिश्वती राशि रवि प्रजापत को मत देना मुझे ही दे देना। परिवादी को पूर्व में दिया गया वाईस रिकॉडर प्राप्त किया तथा रिश्वती राशि को एक लिफाफे में रखवाकर वापस ली गई।

परिवादी ने जरिये टेलीफोन मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 29.07.2022 को आरोपी थानेदार श्री राकेश दो पुलिसकर्मीयों के साथ सिविल ड्रेस में मेरे घर पर आया तथा मेरे से रिश्वती राशि की मांग करी मैने कहा कि साहब मेरे पास अभी तो रूपये नहीं है जिससे उधार लिये थे उसको वापस दे दिये तब आरोपी थानेदार ने कहा कि जिससे रूपये उधार लिये थे उसके पास चल चलते है वहां से रूपये लेकर मुझे दे देना तब मैने रूपये देने वाले खान मालिक का नाम लेते हुये उसका खान पर होना बताकर बहाना बना लिया था फिर उसने यह कहा कि ऐसा करना मिठाई के डिब्बे में रूपये रखकर मुझे मिठाई का नाम लेकर दे देना या मै जिसका नाम लु उसको मिठाई का डिब्बा मेरे को देने का कहते हुये पकडा देना। मैने उनसे कहा है कि कल रूपये का इंतजाम कर दूंगा इसलिए रिश्वत का लेनदेन हो सकता है। अतः उक्त कार्यवाही से संबंधित पूर्व से पाबंद शुदा स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों को ट्रेप कार्यवाही में चलने हेतु पाबंद किया।

दिनांक 30.07.2022 को मन पुलिस निरीक्षक ब्यूरों स्टाफ, गवाहान मय विभागीय टेप रिकॉर्डर के गोला का बास भानगढ पहुंचा जहां पर करीब 3.00 पीएम पर परिवादी नरशीराम मीणा मिला उसके बाद वाईस रिकॉर्डर चालू करके परिवादी के फोन से आरोपी के पास कॉल करवाया तो आरोपी ने फोन पर बताया कि ''मिठाई भी कम्पलीट हो गयी आपकी'' तब आरोपी राकेश मीना ने कहा कि ''कोई बात नही व मस्त रह मै सम्पर्क कर लूंगा तू सू'' मै बस्सी नही बाहर हूं। उसके बाद वहां पर कुछ देर तक आरोपी का इंतजार किया नहीं आने पर समय करीब 3.30 पीएम पर परिवादी को वहीं छोडकर मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के गोला का बास, भानगढ से रवाना होकर समय 5.30 पीएम पर कार्यालय हाजीर आया।

इस प्रकार परिवादी के भाई श्री शंकर एवं दिनेश को मुकदमो मे मुलजिम नही बनाने की ऐवज मे परिवादी श्री नरसीराम मीना ने अनुसंधान अधिकारी श्री राकेश मीना उप निरीक्षक पुलिस थाना बस्सी, जिला जयपुर (पूर्व) से रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 15-7-2022 को सम्पर्क किया तो आरोपी श्री राकेश मीना उप निरीक्षक ने परिवादी को कहा कि शंकर दिनेश को तो तेरे घरवाले मुझे लगता है बचाना नही चाहते है। इस पर परिवादी ने कहा कि अब बताओ कैसे क्या करना है तब उक्त आरोपी ने कहा कि बता तो रखा है तेरे को क्या बताउ, बार-बार क्या बताना। इस पर परिवादी ने कहा कि ''**पचास हजार रूपये बहुत है**'' तो आरोपी ने कहा कि ''**पचास तो कम है अब तू देख लेना तेरे हिसाब से**'' इस पर परिवादी ने कहा कि ''**मेरे पास 20,000/- की व्यवस्था हो गई**'' इस पर आरोपी ने कहा कि ''**बीस से क्या होता है, कर ले तू व्यवस्था आराम से**'' इस पर परिवादी ने कहा कि ''**सत्तर तक बहुत है, सत्तर ले आउ**'' इस पर आरोपी ने सत्तर हजार रूपये रिश्वती राशि लाने की हां करते हुए कहा कि ''**लियाणा**'' ''**चल ठीक है आ जाना सोमवार को, है ना**''। इस पर दिनांक 20-7-2022 को नियमानुसार ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। आरोपी ने परिवादी को रिश्वत देने हेतु जयपुर यूनिर्वसीटी के पास बुलाया तथा मौके पर आया तथा

परिवादी को रिश्वत देने हेतु रोड़ की दुसरी तरफ बुलाया लेकिन परिवादी आरोपी की तरफ न जाकर अपनी साईड मे आरोपी को बुलाया जहां पर ट्रेप पार्टी मुकीम थी परन्तु आरोपी ने रिश्वत लेन देन मे सतर्कता बरतते हुए परिवादी के पास नही आया।

दिनांक 21-7-2022 को आरोपी श्री राकेश मीना के दलाल बस्सी कोर्ट मे वकील के मुंशी रवि प्रजापत ने मोबाईल फोन करके परिवादी को बस्सी कोर्ट मे बुलाया तथा परिवादी के भाईयो को पुलिस थाना बस्सी मे दर्ज मुकदमो मे श्री राकेश मीना अनुसंधान अधिकारी से मुलजिम नही बनाने की ऐवज मे श्री राकेश मीना उप निरीक्षक पुलिस के लिए रिश्वत की मांग करना तथा परिवादी द्वारा यह कहना कि मेरे से एक लाख रूपये की व्यवस्था नही होगी तथा राकेश मीना जी से सत्तर हजार रूपये रिश्वत की बात होने संबंधी बात श्री रवि प्रजापत को बताई तो श्री रवि प्रजापत ने कहा कि **''फिर तू ही बात कर ली तो, फिर तु ही किए जा, पर मेरे को मत कहना, दुबारा जिन्दगी मे फिर ध्यान रखना यह बात''**। इस पर परिवादी ने कहा कि ''नही नही आपके जरिये करेगे सर'' इस पर आरोपी कहता है कि **''इसलिए तो ठोकर खाते है हमेशा, फोन पे ऐसा मत पूछा कर, कभी भी कोई चीज, समझाकर आज कल लोग, किसी पर किसी का कोई भरोसा नही है, वाट्सअप कॉलिंग कर लेता कोई दिक्कत नही'' ''तो होगी के तुम्हारी डन सत्तर मे, कब हुई थी बात, मिलके कब गया था''** इस पर परिवादी ने श्री राकेश मीना के बारे मे बताया कि उनसे मिलकर गया था तो उसने बोल दिया तू तो ऐसा कर तेरे पास जितनी व्यवस्था हो उतनी लेकर आ जाना। इस पर आरोपी ने श्री राकेश मीना के बारे मे कहा कि **''अरे तो यार नरसी किसी जगह खेल रहा ना, उस जगह तो हम मेरे पास फोन आ रहा है तीन दिन से''**। इस पर परिवादी ने श्री रविप्रजापत को रूपये कम करवाने के लिए कहा तो रविप्रजापत ने राकेश मीना उप निरीक्षक के लिए कहा कि **''पूरे लेगा वो तो''** इस पर परिवादी ने कहा कि **''एक लाख ही लेगा सर कम ही नही करेगा''** इस पर रविप्रजापत ने कहा कि **''अपनी कोई दलाली नही है इसमे'' ''अच्छा तू डायरेक्ट पकड़ता है ना मेरे को तो मेरे लाख भी हो सकते है, पचास भी बात कर लेता, अब तू ही श्याणा बण रहा है तो जा''** इसके बाद रविप्रजापत ने राकेश मीना के बारे मे कहा कि **''आधे घंटे पहले कह दिया उन्होने जो कर देना आप, मैने आपको बता दिया, मेरे को वाट्सअप कॉल कर सारी बात बताई थी'' ''मै फिर मेरा काम करूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ'' ''अब चूप रह तेरा काम नही हो तो आपके पैसे ले जाना उल्टे, इससे ज्यादा तो ओर क्या कह सकता हूं'' ''यह अगर जुबान निकलती होगी, मेरे को यह नॉलेज थी, मै जा के आया था, दो घंटे मेरे खराब करके आया था, इस मामले मे पहले भी तीन बार जाके आया'' ''तेरे को तो यही कहेगे, नही मेरी रवि जी से कोई बात नही हुई'' ''सुन फोन पर दुबारा बात भी मत पूछना'' ''फोन पे नही, फेस टू फेस भी नही करना कोई बात'' ''वह अधिकारी है अपना जमीर बेचकर काम थोड़ी करेगे'' ''अब तू ही एडवांस बन रहा है तो उसका क्या करे, वो भी क्या करे बता''** परिवादी ने रविप्रजापत को अपने दो भाईयो के नाम मुलजिमो मे से काटने के बारे मे कहा तो आरोपी ने कहा कि **''कट जायेगा वो तो''** और कहा कि **''ओर ये, ओर कराउंगा, तेरी फाईल का चालान है ना वो तेरे फेवर मे लिखा दूंगा, थोड़ा सा ज्ञान मत बना ज्यादा, ज्ञान मत बांट अभी''** परिवादी ने रवि प्रजापत को राकेश मीना से कब बात हुई के बारे मे पूछा तो रविप्रजापत ने कहा कि **''तू तो निश्चित रह, तू तो पैसे ले आ, तेरे को फोन करके कहलवा दूंगा, कि भाई ठीक है मस्त रह, तेरे को ओर क्या चाहिए'' ''मिलाउंगा नही, फेस टू फेस नही मिलाउंगा, मै ऐसे नही करता हूं, मै काम बहुत तरीके से करता हूं, मेरे भी बाल बच्चे है, अरे पैसे तो मेरे को मेरे क्या घर पर थोड़े ही जा रहे है, यार तेरा काम हो रहा है''** इसके बाद परिवादी के मोबाईल फोन को देखकर कहा कि **''तू मेरी रिकार्डिग तो नही कर रहा है''** जब परिवादी ने मोबाईल फोन फ्लाईट मोड़ पर होने की बात कही तब आरोपी रवि प्रजापत ने श्री राकेश

मीना उप निरीक्षक को दी जाने वाली रिश्वती राशि के लिए कहा कि ''**अभी थोड़ी लाया है, कुछ लाया है तो दे दे जा पटक आया तो तसल्ली हो जाएगी उसको**'' परिवादी ने श्री राकेश मीना को दी जाने वाली रिश्वती राशि सत्तर हजार रूपये का इंतजाम होने की बात कहते हुए तीस हजार रूपये का इंतजाम नही होने की बात कही तो रविप्रजापत ने कहा कि ''**तू पूरे ही कर लेना, तीस हजार भी क्यू दो बार की माथाफोड़ी करता है**'' ''**सुबह आ जाना, तेरा काम हो जायेगा, तेरे को कह दिया ना, तेरे दोनो छोरो का नाम खत्म हो जायेगा, यह ध्यान रखना**''। इस प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेन देन से पूर्व रिकार्ड वार्ताओ से यह पाया गया है कि आरोपी श्री राकेश मीना उप निरीक्षक पुलिस थाना बस्सी, जिला जयपुर (पूर्व) ने अपने दलाल श्री रविप्रजापत से मिली भगत कर परिवादी के भाईयो को पुलिस थाना बस्सी मे दर्ज उक्त मुकदमो मे मुलजिम नही बनाने की ऐवज मे रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

दिनांक 15.09.2022 को परिवादी श्री नरशीराम मीणा ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया तथा एक लिखित प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया की ''पुलिस थाना बस्सी के थानेदार राकेश मीणा ने थाने में दर्ज मु0नं0 84/22 व 83/22 के कम मे मेरे से रिश्वत की मांग करी थी, मैने थानेदार के खिलाफ आपके कार्यालय में रिपोर्ट दी थी आपके द्वारा कार्यवाही करते हुए रिश्वत मांग की रिकॉर्डिंग करवायी थी जिसने उक्त थानेदार राकेश मीणा व अन्य ने मेरे से रिश्वत मांग करी थी श्री राकेश मीणा थानेदार जी का पुलिस थाना बस्सी से ट्रांसफर हो गया है अब मेरे से रिश्वत नहीं लेगा अतः मेरे रूपये राशि 9000 रूपये लौटाये जावें'' इत्यादी प्रार्थना-पत्र से अब ट्रेप कार्यवाही होना संभव नहीं है। चूंकि परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व आरोपी राकेश मीणा का स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने से ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने से परिवादी को नियमानुसार रिश्वती राशि 9,000/-लौटाई गई।

अतः श्री राकेश मीणा उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना बस्सी, जिला जयपुर (पूर्व) एवं उसके दलाल श्री रविप्रजापत मोबाईल फोन नं0 9461784035 वकील का मुंशी कोर्ट बस्सी, जिला जयपुर द्वारा थाना बस्सी में परिवादी के विरूद्व दर्ज प्रकरण संख्या 83/22 व 84/22 में उसके भाई श्री दिनेश मीना व श्री शंकर लाल मीना को मुलजिम नही बनाने की एवज में 70,000 रूपये की रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः उक्त आरोपी राकेश मीणा उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना बस्सी, जिला जयपुर व दलाल वकील के मुंशी श्री रवि प्रजापत के विरूद्व अंतर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 व 120बी भा.द.स. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(**मानवेन्द्र सिंह**)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मानवेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.दं.सं. में आरोपीगण 1. श्री राकेश मीना पुत्र श्री ओमप्रकाश मीणा, हाल-उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना बस्सी जिला जयपुर(पूर्व) आयुक्तालय, जयपुर एवं 2.श्री रवि कुमार प्रजापत, मो.नं. 9461784035 वकील का मुंशी कोर्ट बस्सी, जिला जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 408/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

14.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3547-51 दिनांक 14.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

14.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।